भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून / Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र संं0 8 बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद- टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लि0 टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/TRANS/154613/2022)।

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 575/12-1: देहरादून: दिनांक 24-09-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.08.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि 1.68 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 8400 मीटर एवम् चैड़ाई 2 मीटर प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अध्याय 10 के अनुसार, 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन की न्यूनतम चैड़ाई 15 मीटर है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव को तदनुसार संशोधित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 23-12-2024 11:07:19

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।